**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 3624**

**उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024**

**पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी)**

**3624.श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः**
**श्रीमती शांभवीः**
**श्री नरेश गणपत म्हस्केः**
**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी) का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) क्या इस योजना में इन श्रेणियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान करने के विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी छात्रों, विशेषकर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को समायोजित करने के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु कोई आबंटन किया गया है;

(घ) इस योजना के तहत शीर्ष श्रेणी की स्कूल और कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सहित जिसमें ट्यूशन, रहने का खर्च और अन्य शैक्षणिक लागतों के लिए पात्रता मानदंड और वित्तीय सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और 2047 तक विकसित भारत के विजन में योगदान सुनिश्चित करने के लिए कोई लक्ष्य या प्रभाव आकलन संबंधी उपाय निर्धारित किए हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री बी.एल. वर्मा)**

**(क) और (ख):** सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता प्रदान करने

लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी) नामक एक व्यापक योजना लागू कर रही है। पीएम यशस्वी के तहत निम्नलिखित उप-योजनाएँ हैं-

- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- भारत में अध्ययनरत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूल में टॉप क्लास शिक्षा
- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेज में टॉप क्लास शिक्षा
- ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण

सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां कार्यान्वित करती है।

**(ग):** ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना के तहत धनराशि तीन (3) किस्तों में पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन 40.00 करोड़ रुपये है।

**(घ):** ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूल में टॉप क्लास शिक्षा की योजना के तहत, स्कूल द्वारा अपेक्षित ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य शुल्क को कवर करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो कक्षा 9 और 10 के प्रत्येक छात्र के लिए अधिकतम 75,000/- रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 11 और 12 के प्रत्येक छात्र के लिए 1,25,000/- रुपये प्रति वर्ष है। इसके अलावा, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेज में टॉप क्लास शिक्षा की योजना के तहत, (क) पूर्ण ट्यूशन फीस और गैर-वापसी योग्य शुल्क (निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए प्रति छात्र 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण और टाइप रेटिंग पाठ्यक्रमों के लिए निजी क्षेत्र के फ्लाइंग क्लबों के लिए 3.72 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा है) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, (ख) छात्र को प्रति छात्र 3000 रुपये प्रति माह की दर से रहने का खर्च दिया जाता है, (ग) पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 5000/- रू. प्रति वर्ष दिए जाते हैं तथा (घ) पाठ्यक्रम के दौरान एकमुश्त सहायता के रूप में, यूपीएस और प्रिंटर जैसे सहायक उपकरण के साथ प्रतिष्ठित ब्रांड के कंम्प्यूटर/लैपटॉप के लिए प्रति छात्र 45000/- रुपये तक प्रदान किए जाते हैं।

**(ङ):** ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ उनके तालमेल का उद्देश्य शिक्षा की उपलब्धता में सुधार करना, ड्रॉपआउट दरों को कम करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- लक्षित लाभार्थी: प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थियों की संख्या के संबंध में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
- निगरानी तंत्र: राज्य सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी की जाती है।
- प्रभाव का आकलन: नियमित वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति पर नज़र रखी जाती है, जिससे यह पता चले कि छात्रवृत्तियाँ कितनी प्रभावी रूप से वितरित की गई हैं। इन योजनाओं का अन्य पक्ष द्वारा मूल्यांकन कमियों का आकलन करने और सुधार का सुझाव देने के लिए किया जाता है।
- समीक्षा समितियां: योजनाओं की प्रभावशीलता को मापने के लिए समय-समय पर समीक्षा और प्रभाव आकलन किया जाता है।

*****